नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर - 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) 492002
कार्यालय दूरभाष : 0771-2512500, फैक्स : 2512400, ई-मेल : ceo.nranvp@cg.gov.in

क्र0/9117/1–923/स्था./तृतीय वर्ग/सीधी भर्ती/एनआरएएनव्हीपी/2024 दिनांक 21/11/2025

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर के तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 01–34/2024/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् व्यापमं के माध्यम से नीचे लिखे विवरण अनुसार पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है :–

सं0 क्र0	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	उप अभियंता (सिविल/लोक स्वा. यां.)	9	2	6+1 (01 बैकलॉग)	3	2	-	2	-	-	-	-	-	1 (OA, OL, HH)	21	35400 (स्तर–8)
कुल योग		9	2	7	3										21	

(1) महत्वपूर्ण टीप :–

i) रिक्त पदों की संख्या अनंतिम/परिवर्तनीय है, प्राधिकरण अपनी आवश्यकतानुसार रिक्त पदों में कमी या वृद्धि कर सकती है। प्राधिकरण की पदसंरचना एवं छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम में संशोधन की दशा में उपरोक्तानुसार पदों की संख्या में तथा अर्हताओं में तदानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

ii) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही "छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम, 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2017 के तत्संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत की जायेगी।

iii) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगा।

iv) ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें की उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी यह पाया जाता है कि कोई भी अभ्यर्थी विहित अर्हता नहीं रखता है अथवा पात्रता नहीं रखता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। साथ ही नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में नियुक्तिकर्ता अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

v) **आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।** जिसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi) विभिन्न प्रकार के पदों में स्थानीय निवास एवं शासन द्वारा समय–समय पर छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा के अंदर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के प्रावधान भी लागू होंगे।

vii) मान्य दिव्यांगता के प्रकार का विवरण निम्नानुसार है (पदों की ऑनलाइन अग्रमान्यता दर्शित करते समय निःशक्तजन को उपलब्ध होने वाले विकल्प इस सूची के अनुसार होंगे):–

स.क्र.	पद का नाम	दिव्यांगता का प्रकार
1	उप अभियंता (सिविल/लोक स्वा. यां.)	OA, OL, HH

(2) पदों का नाम, वेतनमान, शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ :–

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	कुल रिक्त पद	शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं
2	उप अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.) वेतन मैट्रिक्स लेवल–8 (35400–112400)	21	मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/तीन वर्षीय डिप्लोमा।

(3) परिवीक्षा अवधि :–

i) विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी। परिवीक्षावधि के दौरान अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परिवीक्षावधि की समाप्ति के पश्चात् अभ्यर्थी को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा।

ii) नियुक्ति प्राधिकारी विशेष मामलों में परिवीक्षा की कालावधि को कुल मिलाकर 1 वर्ष से अनधिक कालवधि के लिये बढ़ा सकेगा।

iii) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसे प्रशिक्षण में जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

iv) परिवीक्षा अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज मे एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(4) पदों हेतु आरक्षण –

i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिए छ0ग0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

ii) राज्य में सीधी भर्ती के लिए लागू महिला आरक्षण एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के संबंध में जारी किये गये नियम/निर्देश लागू होंगे।

iii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा।

iv) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा, जो आवेदन करने की तिथि के पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र आधारित हो।

v) निःशक्तजनों हेतु आरक्षित पदों पर चयन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा तत्समय प्रचलित प्रावधान के अनुसार की जावेगी।

(5) निर्धारित आयु सीमा –

i) उपरोक्तानुसार सभी पदों के लिए आयु सीमा **छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा कर्मचारी) भर्ती नियम 2013 यथासंशोधित की कण्डिका 10 (एक) (क) अनुसार** अभ्यर्थी ने दिनांक 01.01.2026 को **21 वर्ष** की आयु पूर्ण कर ली हो एवं अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर दी गई छूट लागू होगी।

ii) निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु–सीमा में वही छूट देय होगी जो राज्य शासन द्वारा सेवा के समस्त संवर्गो मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लागू हो एवं आयु–सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नही बशर्ते कि पद, निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

iii) आयु संबंधी प्रमाण के लिए समान्यतः हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, छ०ग० शासन के कार्यरत अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता/नैमेत्तिक सेवानिधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, छटनी किये गए शासकीय सेवक, भूतपूर्व सैनिक, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत अभ्यर्थी, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान, तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थी, एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित अभ्यर्थी, राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी, स्वयं सेवी नगर सैनिक तथा नगर सैनिकों के नानकमीशन्ड अधिकारी, महिलाएँ, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएँ, निशक्तजन, को शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियमों/निर्देशों के तहत् निर्धारित आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। छूट

प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाणपत्र की स्वयं अथवा सक्षम अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी ने अधिकतम आयु 45 वर्ष पूर्ण ना की हो।**

(6) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र –

i) यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हो या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हो तो वें ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरन्त पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हो तो ऐसी स्थिति में उनका परीक्षा तो लिया जायेगा। परन्तु परीक्षा पश्चात चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती हैं तो इसके लिये संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अनर्हता :– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार की अनर्हता भी लागू होगी :–

i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।
परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए। परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्यधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण क अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाए। (छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11.09.2023)

v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।

(8) चयन प्रक्रिया –

अभ्यर्थियों का चयन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से होगा:–

i) व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्यता (मेरिट) सूची तैयार की जावेगी। व्यापमं से प्राप्त प्रावीण्यता सूची के मेरिट क्रमानुसार विभागीय चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जावेगा। तत्पश्चात् सक्षम स्वीकृति मिलने उपरांत पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

ii) अभ्यर्थियों के द्वारा समान अंक अर्जित करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसे वरीयता दी जावेगी।

iii) अभ्यर्थी द्वारा व्यापम अथवा प्राधिकरण को दी गई जानकारी यदि चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा नियुक्ति के पश्चात् असत्य होना पाया जाता है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी, एवं संबंधित के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

iv) शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा, चयन एवं नियुक्ति की प्रकिया के किसी भी स्तर पर एवं नियुक्ति के पश्चात् भी अपात्रता पाये जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

v) नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी। परिवीक्षा अवधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा।

vi) चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

vii) अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में तथा भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरएएनव्हीपी के पास सुरक्षित रहेगा।

(9) नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें

i) आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर चयन प्रक्रिया के दौरान विभागीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत

नहीं करने की स्थिति में किन्तु अन्य पात्रता पूर्ण होने पर अनारक्षित प्रवर्ग में विचार किया जावेगा।

ii) नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले एवं किसी भी प्रकार का दबाव डालने वाले आवेदक को नियुक्ति के लिए अपात्र कर दिया जावेगा।

iii) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा, बिना पूर्व सूचना के अधिसूचित रिक्तियों की संख्या घटाई अथवा बढ़ाई जा सकेगी, या विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकेगा।

iv) शासन द्वारा नियमों/भर्ती नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वह इस विज्ञप्ति में लागू होंगी।

v) चयनित अभ्यर्थी पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के समस्त नियम/प्रावधान बंधनकारी होंगे।

परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा शुल्क भुगतान की विधि, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य निर्देश व्यापम की अधिकृत वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in **पर देखा जा सकता है।**

महाप्रबंधक (प्रशासन)
एनआरएनएनव्हीपी
जिला रायपुर

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण

पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) 492002
कार्यालय दूरभाष : 0771-2512500, फैक्स : 2512400, ई-मेल : ceo.nranvp@cg.gov.in

क्र./9117/1-923/स्था./द्वितीय वर्ग/सीधी भर्ती/एनआरएएनव्हीपी/2024 दिनांक : 21/11/2025

नवा रायपुर अटल नगर विकास, प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर के उप अभियंता (सिविल/लो.स्वा.यां.) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 01-34/2024/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27.12.2024 के माध्यम से नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से भरे जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् व्यापम के माध्यम से नीचे लिखे विवरण अनुसार पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है :-

स. क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नि: शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मैट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	उप अभियंता (सिविल/लोक स्वा. यां.)	9	2	6+1 (01 बैकलॉग)	3	2	-	2	-	-	-	-	-	1 (OA, OI, HH)	21	35400 (स्तर-8)
	कुल योग	9	2	7	3										21	

टीप :-

1) विज्ञापित पदों की विस्तृत विज्ञापन, आनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, चयन प्राक्रिया, पाठ्यक्रम, समय एवं केन्द्र पदों का आरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट **http://vyapamcg.cgstate.gov.in** पर उपलब्ध है।
2) रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/बदलाव किया जा सकता है।
3) उपरोक्त विज्ञापित पदो के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एल.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन होगी।

महाप्रबंधक (प्रशासन)
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

HTR/CGS-46000